संख्या-54/2022/1902/54-2002(099)/6/2022

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक 4235 के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-322/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 11 जुलाई, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0103-आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में रू० 3882.00 लाख एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में रू0 2588.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 6470.00 लाख (रू0 चौंसठ करोड़ सत्तर लाख मात्र) की बजट व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराते हुए एस०एन०ए० खाते में स्थानान्तरित कर उपभोग करने हेतु वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 तथा शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12, दिनांक 19.10.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाईन/ दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
8. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के संबंध में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।
11. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।
12. प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. धनराशि के आहरण के पूर्व निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
14. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व प्रश्नगत योजनान्तर्गत उपलब्ध केन्द्रांश की स्थिति से स्व स्तर पर संतुष्ट हो लेंगे।
16. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
17. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
18. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।
19. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
20. प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर कन्वर्जेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 में निर्गत निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के सुसंगत अनुदान से वहन किया जायेगा।
21. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 तथा शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0103-आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आर.ई. संख्या-बजट-1-24, दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-54/2022/1902(1)/58-1-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार(जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र., प्रयागराज।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य के संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार कन्वर्जेन्स के माध्यम से मनरेगा के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य के संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार कन्वर्जेन्स के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10. राज्य योजना आयोग-1/केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
11. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A054-20222023-54-2002-099-6-2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक 4235 के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्तीय वर्ष
049	4235021020127 (आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपग्रेडेशन (के.60/रा.40-के+रा.))	25 (लघु निर्माण कार्य)	38,82,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ बयासी लाख मात्र	-38,82,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ बयासी लाख मात्र	2022-2023
049	4235021028927 (आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपग्रेडेशन)	25 (लघु निर्माण कार्य)	25,88,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ अट्ठासी लाख मात्र	-25,88,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ अट्ठासी लाख मात्र	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्तीय वर्ष
049	4235021020103 (आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (के.50/रा.50-के.))	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	38,82,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ बयासी लाख मात्र	2022-2023
049	4235021028903 (आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	25,88,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ अट्ठासी लाख मात्र	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. उपलब्ध बचत का कारण-संभावित बचत एवं भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1/33/PFMS/2022, दिनांक 07 जुलाई, 2022 के क्रम में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्राप्त केन्द्रांश को दिनांक 20 जुलाई, 2022 तक SNA खाते में स्थानान्तरित करने के निर्देश के कारण।
2. आवश्यकता से कम प्रावधान होने के कारण।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या-बजट-1-24, दिनांक 20 जुलाई, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव

(फूलचन्द्र यादव)
अनु सचिव

संख्या :54/2022/1902(2)/2022-54-2002-099-6-202, दिनांक 20 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3. निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
5. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव